झारखंड उच्च न्यायालय,रांची

आपराधिक विविध याचिका संख्या 3368/2023

जय कुमार@जितेंद्र कुमार, आयु लगभग 27 वर्ष, पुत्र गैलो महतो, निवासी ग्राम-सोकी, डाकघर और थाना- मयूरहंत, जिला-चतरा ...याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य ... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिएः श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिएः सुश्री रूबी पांडे, अतिरिक्त लोक अभियोजक

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वाराः - दोनों पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका धारा 482 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आहवान करते हुए दायर की गई है, जो दिनांक 21/09/2023 को जी.आर. संख्या 1880/2023 के संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,हजारीबाग द्वारा पारित आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक प्रार्थना के साथ जो थाना इचाक में दर्ज केस संख्या 215/2023 से उत्पन्न हुआ जिसके तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,हजारीबाग ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 366,376,341,323,504,34 के तहत कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्टया मामला पाया और उक्त अपराध का संज्ञान लिया।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि सूचना देने वाले ने सोशल मीडिया पर याचिकाकर्ता के

साथ बातचीत शुरू की, जिसमें याचिकाकर्ता ने खुद को बीएसएफ में कांस्टेबल के रूप में पेश किया और सूचना देने वाले और याचिकाकर्ता के बीच फोन पर परिचित हुआ और याचिकाकर्ता ने सूचना देने वाले को सूचित किया कि वह उसे पसंद करता है और वह उससे शादी करेगा। दिनांक 10.08.2022 को, याचिकाकर्ता सूचना देने वाले के घर आया और इस तथ्य का लाभ उठाते हुए, कि सूचना देने वाले के घर में कोई और नहीं था, याचिकाकर्ता ने शारीरिक संबंध स्थापित किए उसके साथ यह कहकर कि वह उससे शादी करेगा। याचिकाकर्ता अगस्त के महीने में फिर से आया और सूचक के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। 13 नवंबर को, याचिकाकर्ता सूचक को रांची ले गया और उसे एक होटल में रखा और रात में कई बार सूचक के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए और 14 नवंबर को सूचक को उसके गांव छोड़ दिया। आगे यह आरोप लगाया गया है कि सूचक द्वारा उससे शादी करने के लिए कहे जाने पर, याचिकाकर्ता ने सूचक को उसकी माँ, पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से मिलवाया। 6 दिसंबर को, सूचना देने वाले को अपने घर में छोड़कर, याचिकाकर्ता, लौटने के बाद उससे शादी करने का वादा करके अपने कर्तव्य स्थल पर गया। दिनांक 07.12.2022 को, याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों ने सूचना देने वाले पर गंभीर हमला किया और उसे यह कहकर अपने घर से बाहर निकाल दिया कि वे सूचना देने वाले के साथ याचिकाकर्ता की शादी नहीं कराएंगे क्योंकि उन्हें 20,00,000/- रुपये का तिलक मिलेगा और वे याचिकाकर्ता की शादी की व्यवस्था कहीं और करेंगे और अगर सूचना देने वाला रुपये 20,00,000/- ला सकता है तभी वे याचिकाकर्ता के साथ उसकी शादी कराएंगे और जब सूचना देने वाले ने याचिकाकर्ता को 20,00,000/- रुपये की मांग के बारे में बताया। याचिकाकर्ता ने सूचना देने वाले को रुपये 20,00,000/-, की व्यवस्था करने के लिए भी कहा शादी के लिए और उसके बाद, अपना फोन बंद कर दिया। सूचक किसी तरह अपने गाँव वापस आ गया।

4. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील इस अदालत की एक समन्वित पीठ के रबिन्द्र महतो @ रबिंदर महतो बनाम रवींद्र महतो बनाम झारखंड राज्य और अन्य के मामले में दिए गए फैसले पर निर्भर करता है, जिसे आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 355/2022 मे पारित किया गया है।

5. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील आगे प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है, रिपोर्टेड (2019) 9 एस.सी.सी. 608, जिसका अनुच्छेद 18 निम्नानुसार हैः

"18. उपरोक्त मामलों से उभरने वाली कानूनी स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए, धारा 375 के संबंध में एक महिला की "सहमति" में प्रस्तावित अधिनियम के प्रति सक्रिय और तर्कपूर्ण विचार-विमर्श शामिल होना चाहिए। यह स्थापित करने के लिए कि क्या "सहमति" को शादी करने के वादे से उत्पन्न "तथ्य की गलत धारणा" द्वारा दूषित किया गया था, दो प्रस्ताव स्थापित किए जाने चाहिए। शादी का वादा एक झूठा वादा होना चाहिए, जो गलत विश्वास में दिया गया था और जिस समय इसे दिया गया था, उस समय इसका पालन करने का कोई इरादा नहीं था। झूठा वादा अपने आप में तत्काल प्रासंगिक होना चाहिए, या यौन कृत्य में शामिल होने के महिला के फैसले के साथ सीधा संबंध होना चाहिए और प्रस्तुत करता है कि शादी करने के वादे से उत्पन्न "तथ्य की गलत धारणा" द्वारा दूषित होने के लिए एक महिला की सहमति का गठन करने के लिए, शादी का वादा गलत विश्वास में दिया गया एक झूठा वादा होना चाहिए और उस समय इसका पालन करने का कोई इरादा नहीं था, यह दिया गया था। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस मामले में, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता का किसी भी समय सूचना देने वाले से शादी करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि यह सूचना देने वाले का स्वीकृत मामला है कि याचिकाकर्ता, उससे शादी करने के लिए, उसे अपने घर लाया और उसे अपने घर में रखा, लेकिन उसके परिवार के सदस्य, याचिकाकर्ता और सूचना देने वाले के बीच शादी के लिए सहमत नहीं थे।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि स्वीकार किया जाता है कि पीड़ित एक बड़ी लड़की है और केवल याचिकाकर्ता से शादी करने के सपने को साकार करने के लिए है और याचिकाकर्ता पर दबाव बनाने के लिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ एक झूठा मामला दर्ज किया। उनके तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने मंदार दीपक पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य 2022 लाइव लॉ (एससी) 649 में रिपोर्ट की के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें उस मामले के तथ्य, जहां उस मामले के पक्षकार 2009 से 2011 तक सहमति से संबंध में थे, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य (ऊपर वर्णित) मामले में अपने द्वारा लिए गए दृष्टिकोण पर ध्यान दिया और उस भेद पर भी ध्यान दिया जो विवाह के झूठे वादे के बीच किया गया था जो निर्माता द्वारा समझ पर दिया गया था कि इसे तोड़ा जाएगा और वादे का उल्लंघन जो सद्भावना में किया गया है, लेकिन बाद में पूरा नहीं हुआ और पूरी आपराधिक

कार्यवाही को रद्द कर दिया गया, इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 21/09/2023 को जी.आर. संख्या 1880/2023 के संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,हजारीबाग द्वारा पारित आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए जो थाना इचाक में दर्ज केस संख्या 215/2023 से उत्पन्न हुआ है को रद्द किया जाए और अलग रखा जाए।

7. अतिरिक्त लोक अभियोजक दूसरी ओर, दिनांक 21/09/2023 को जी.आर. संख्या 1880/2023 के संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,हजारीबाग द्वारा पारित आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए जो थाना इचाक में दर्ज केस संख्या 215/2023 से उत्पन्न हुआ है के संबंध में पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना का जोरदार विरोध करता है और प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाया गया आरोप आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त है क्योंकि यह एक स्पष्ट मामला है कि सूचना देने वाले की सहमति, विवाह के वादे से उत्पन्न तथ्य की गलत धारणा से दूषित हो गई है, इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आपराधिक विविध याचिका, बिना किसी योग्यता के होने के कारण खारिज कर दी जाए।

8. बार में की गई दलीलों को सुनने के बाद और अभिलेख में उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आरोप नहीं है कि उसका सूचना देने वाले से शादी करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि आरोप यह दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता सूचना देने वाले से शादी करने को तैयार था और उसे अपने घर भी ले गया था, लेकिन याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्य बाधा बन गए और सूचना देने वाले से शादी करने के उसके शब्दों का सम्मान करने से याचिकाकर्ता को बाधित किया। पक्षों के बीच शारीरिक संबंध काफी समय तक जारी रहे।

9. ऐसी परिस्थितियों में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए कानून के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य (उपर्युक्त) के मामले में यह नहीं कहा जा सकता है कि सूचना देने वाले की सहमति को इस तथ्य की गलत धारणा से दूषित किया गया था क्योंकि सूचना देने वाली एक बड़ी महिला होने के नाते याचिकाकर्ता के साथ सहमति से यौन संबंध स्थापित किया है। इसलिए, इस अदालत की सुविचारित राय में, याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की निरंतरता, कानून की प्रक्रिया

के दुरुपयोग के बराबर होगी, और यह एक उपयुक्त मामला है, जहां दिनांक 21/09/2023 को जी.आर. संख्या 1880/2023 के संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,हजारीबाग द्वारा पारित आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए थाना इचाक में दर्ज केस संख्या 215/2023 से उत्पन्न हुआ है को रद्द किया जाए और अलग रखा जाए।

10,. अतएव, दिनांक 21/09/2023 को जी.आर. संख्या 1880/2023 के संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,हजारीबाग द्वारा पारित आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए थाना इचाक में दर्ज केस संख्या 215/2023 से उत्पन्न हुआ है को रद्द किया जाता है और अलग रखा जाता है।

11. इस आपराधिक विविध याचिका की अनुमति है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

दिनांक 12 फरवरी, 2024

यह अनुवाद पैनल अनुवादक मदन मोहन प्रिय द्वारा किया गया है।